न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौडगढ (राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या :- 34/2025

दिनांक 2/5/25

बनाम

कजोड़ी पुत्री रामाजी खाती कौम

निवासी नाल त. बेगूं .... प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

रामचन्द्र पिता मांगीलाल धाकड़ कौम

निवासी नाल त. बेगूं .... विपक्षी/विपक्षीगण

:- आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करने:-

न्यायालय में अधिवक्ता श्री संजय शर्मा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जॉच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जॉच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा नाल पटवार हल्का खेड़ी की आराजी संख्या 403,414,416,417,418,419, 42?,769,558,863,577,578 कुल कीता 12 कुल रकबा 2.7100 हे. कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतःप्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा नाल पटवार हल्का ~~[illegible]~~ खेड़ी की आराजी संख्या प्रार्थना पत्रानुसार कुल कीता 12 कुल रकबा 2.7100 हे. भूमि की पत्थरगढी हेतू सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 2500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र

कीता- (3)

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी, बेगूं
जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक/सरिस्ता/2025/ 234

दिनांक :- 5/5/25

प्रार्थना पत्र संख्या 34/25 व अनवान कजोड़ी वि. रामचन्द्र प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी,बेगूं
जिला चित्तौडगढ(राज.)